फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - थाना कमालगंज

दिनांक - 25.06.2026

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 417/2025 धारा 137(2) /87/65(1) बीएनएस व 5(j)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट के नामजद एंव वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री यमुना प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 417/2025 धारा 137(2) /87/65(1) बीएनएस व 5(j)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित नामजद/वांछित अभियुक्त राजेश कश्यप पुत्र सोवरन सिंह निवासी नगला कमल थाना भोगांव जनपद मैनपुरी को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

01. राजेश कश्यप पुत्र सोवरन सिंह निवासी नगला कमल थाना भोगांव जनपद मैनपुरी।

घटना का संक्षिप्त विवरण – दिनांक 20.12.2025 को वादी द्वारा दिये गये लिखित प्रार्थना पत्र बाबत् अभियुक्त राजेश उपरोक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध मे प्राप्त हुआ था ,उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0 417/2025 धारा 137(2) बीएनएस बनाम 01. राजेश कश्यप उपरोक्त पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अपहृता/पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 87/65(1) बीएनएस व 5(j)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई थी तथा विवेचना के क्रम में नामजद/वाछिंत अभियुक्त राजेश कश्यप उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल मे लाई जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- राजेश कश्यप उपरोक्त ने पूछताछ करने पर जुर्म से इकबाल करते हुए अपनी गलती की माफी मांगते हुए शेष सफाई जरिए अधिवक्ता मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त राजेश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

01.मु0अ0सं0 0417/2025,धारा-137(2)/87/65(1)बीएनएस व 5(j)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ ।

गिरफ्तार करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. प्र0 निरी0 श्री रामसहाय सिंह
2. उ0नि0 श्री सन्दीप कुमार
3. का0 तेजवीर
4. का0 रिषीकान्त

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।